

न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर0सं0-639 / 2020

दाउदनगर थाना कांड संख्या-218 / 2020

07.06.2022

काराधीन अभियुक्त राम प्रवेश यादव उर्फ प्रवेश यादव की ओर से शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदा० को दी गई है ।

वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते हैं कि आवेदक निर्दोष है । आवेदक की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है । अभियुक्त रौशन कुमार के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आवेदक को इस मुकदमा में गलत ढंग से नाहक फंसाया गया है । आवेदक के पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी नहीं हुई है । आवेदक को इस वाद में दिनांक-26.05.2022 को रिमाण्ड किया गया है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । जिससे विदित होता है कि उक्त वाद की प्राथमिकी धारा 395 & 397 भा०द०सं० के अंतर्गत दर्ज की गई है । संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक-30.07.2020 को समय करीब 10:50 बजे इंडियन बैंक की शाखा जिनोरियों में आठ-दस अज्ञात अपराधियों के द्वारा घुसने लगे । गार्ड जब रोकने का प्रयास किया तो उसके साथ मारपीट किया गया तथा कट्टा के बट एवं चाकू से मारकर गार्ड को जख्मी कर दिया उसके बाद अपराधियों ने चाकू एवं पिस्तौल का भय दिखाकर बैंक का चौसठ लाख रूपया लूट लिया । बैंक के अंदर मौजूद ग्राहक को कमरे में घुसा कर बाहर से बंद कर दिया उसके बाद तीन मोटरसाईकिल से अपराधी दाउदनगर के तरफ भाग गये । आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है, बल्कि उनका नाम अनुसंधान के क्रम में आया है । आवेदक के विरुद्ध गम्भीर आरोप है । उक्त वाद में अनुसंधान जारी है । उक्त वाद के अन्य अभियुक्तगण का जमानत इस न्यायालय द्वारा खारिज है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त द्वारा दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।